न्यायालय श्री राजीव कुमार द्विवेदी, विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, बगहा, पश्चिम चम्पारण

बगहा उत्पाद थाना काण्ड संख्या–1148 / 2026

धारा–37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2022

सरकार

बनाम

गुड्डू कुमार सिंह एवं रवि कुमार

जी.आर. संख्या 1763/26 **सी.आई.एस. संख्या** 1892/26

03.08.2026.... बगहा उत्पाद थाना काण्ड संख्या–1148 / 2026 का प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त हुआ।देखा। कार्यालय पंजीबद्ध करें।

लेखापित

वि.न्या.उत्पाद

03.08.2026.... ए.एस.आई. अंकित कुमार, बगहा उत्पाद थाना, जिला–पश्चिम चम्पारण के द्वारा प्रसंगाधीन काण्ड के प्राथमिक अभियुक्त 1. गुड्डू कुमार सिंह, उम्र–33 वर्ष, पे0–रामविमल सिंह, साकिन–जगरनाथपूर, थाना–गोपालपुर, 2. रवि कुमार, उम्र–25 वर्ष, पे0–राजन ठाकुर, साकिन–बड़गो थाना–रामनगर, जिला–पश्चिम चम्पारण को गिरफ्तार कर अग्रसारण प्रतिवेदन, गिरफ्तारी ज्ञापन एवं अलकोहन जांच रिपोर्ट के साथ अन्तर्गत धारा–37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2022 में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तों के परिजन को दिया गया है। अभियुक्तों ने मार्गरक्षी दल के विरूद्ध किसी प्रकार का दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं किया हैं। अभियुक्तो ने अधिवक्ता नियुक्ति हेतु स्वयं को सक्षम बताया हैं।

वाद पुकार पर अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित हुए और दोष स्वीकार करने हेतु न्यायालय में विहित प्रपत्र संख्या–VI के साथ प्रस्तुत किया गया तथा अभियुक्तों का यह प्रथम अपराध अभिलेखित किया गया है। विहित प्रपत्र VI(क) पर अभियुक्तों का संस्वीकृति बयान उल्लेखित किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध लगाए गए आरोप को स्वीकार किया तथा दोषी होने का अभिवचन किया। प्रपत्र संख्या–VII के अनुसार उपरोक्त आरोप की प्रकृति धारा–37 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2022 के आलोक में उपरोक्त अभियुक्तों को **मो0–5000 / 5000 पॉच / पॉच हजार रुपया** अर्थदण्ड की राशि नजारत में भुगतान करने हेतु आदेश दिया जाता है और उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चुक होने पर 30 दिनों का साधारण कारावास की सजा दी जाएगी। प्रपत्र संख्या–VI,VI(क)एवंVII अलग से अभिलेख संलग्न है।

लेखापित

वि.न्या.उत्पाद

पश्चात–......अभियुक्त **गुड्डू कुमार सिंह एवं रवि कुमार** के द्वारा कुल मो0–10000(दस हजार रूपये) अर्थदण्ड की राशि रसीद संख्या–1765 के द्वारा नजारत में जमा किया गया। अतः **गुड्डू कुमार सिंह एवं रवि कुमार** को इस वाद से स्थायी रूप से मुक्त किया जाता है। साथ ही इस वाद को निस्तारित किया जाता है। कार्यालय निस्तारित अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

वि.न्या.उत्पाद